

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

32- खानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तराखण्ड राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

उमेश कुमार

म0न0 204, ग्राम- अकोढ़ा, औरंगजेब डा. व तह.लक्सर, जिला हरिद्वार जो निर्दलीय द्वारा खड़े किये गए, उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान- हरिद्वार

तारीख- 10 मार्च 2022

हस्ताक्षर

ndw
10/03/2022
(नरेन्द्र कुमार यादव)

रिटर्निंग ऑफिसर

32 खानपुर

विधानसभा सामान्य निर्वाचन

रिटर्निंग ऑफिसर

32-खानपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Uttarakhand** from **32-Khanpur** Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

UMESH KUMAR

h.no. 204, vill. akaudha, aurangzebpur, po. laksar, tehseel laksar, district - haridwar [sponsored by **Independent**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 10-03-2022


(Shri Narendra Yadav)
Returning Officer
32-Khanpur Assembly Constituency
32-Khanpur
Legislative Assembly Constituency